संख्या-54/2026/ I-1277887/2026/एस-234/2026 /001-38-2099-4-2025

प्रेषक,

रचनीश चन्द्र,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

दीनदयाल उपाध्याय

राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,

बक्शी का तालाब, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 मार्च, 2026

विषयः- दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब, लखनऊ के नियत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी लेखा पक्ष में 14-मोटरगाडियों के क्रय मद में प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-627/स0/वाहन निष्प्रयोज्य/2003-04-।। टी0सी0, दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम्य विकास-05-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय जिला/ ग्राम्य विकास संस्थान-(14 मोटर गाडियों का क्रय के मद में प्रावधानित धनराशि रू0 60.00 लाख के सापेक्ष (रूपये साठ लाख मात्र)प्रतिस्थान के आधार पर क्षेत्रीय जिला/ग्राम्य विकास संस्थानों के उपयोगार्थ प्रति वाहन मूल्य रू0 7,15,062/- लाख (रूपये सात लाख पन्द्रह हजार बासठ मात्रहै (, की दर से **08** शासकीय वाहनों को क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 57,20,496.00 लाख (रूपये सत्तावन लाख बीस हजार चार सौ छियानवे मात्र (की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों प्रतिबंधों के अधीन श्री/राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) प्रकरण का परीक्षण आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(5) उक्त धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त वाहन क्रय किये जाने वाले वाहनों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत अद्यतन शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(7) प्रतिस्थापन स्वरुप वाहनों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जी0ई0एम0 पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नही हुई है।

(9) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरुप वाहनों के क्रय मद में किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उल्लिखित निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष पूर्व में प्रतिस्थापन स्वरुप वाहनों का क्रय नहीं किया गया है। अर्थात क्रय की कार्यवाही की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) प्रश्नगत वाहनों हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहनों की नितांत आवश्यकता/ अपरिहार्यता होने पर ही प्रतिस्थापन आधार पर वाहनों का क्रय किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत क्रय हेतु वाहनों की गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(13) क्रय किये जाने हेतु वाहन की गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(14) उक्त वाहन का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो अर्थात क्रय की कार्यवाही पुनरावृत्ति/डुप्लीकेसी न हो।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/ 2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 57,20,496.00 (रुपये सत्तावन लाख बीस हजार चार सौ छियानबे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 4515001030500 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला, ग्राम्य विकास संस्थान) मानक मद 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या**-E-2-231-X-2025-26-दिनांक: 23-3-2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-54 /2026/।-1277887/ एस-234 /001-38-2099-4-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 प्रयागराज।
3- आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ को बजट की समेकित सूचना के अनुश्रवण हेतु।
4- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-5/8
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।